

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्रांक:—निदे०(नियो०एवं०ब०)/कैम्प/2018/1119/

लखनऊ: दिनांक 21.12.2018

विषय : जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं को पोर्टल के माध्यम से समय पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं के प्राप्त आवेदनों का पोर्टल के माध्यम से समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिस पर मा० मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि लम्बित आवेदन पत्रों का विलम्बता 3 दिवस में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये साथ ही अब तक हुए विलम्ब के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये तथा समस्त प्राप्त जनहित से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण भविष्य में पोर्टल के माध्यम से ही किया जाये।

भवदीय,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

लखनऊ,

पत्रांक—17फ/नि०नि०ब०/कैम्प/2018/1220-21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. डा० नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एल०सी०, लखनऊ।

निदेशक (नियो०जन एवं बजट)